IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

भारत में न्यायिक प्रशासन का विकास: एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण

Prof. Shubha Sinha

Shyama Prasad Mukherjee College for Women, University of Delhi .

Prof. Srikant Pandey

Delhi College of Arts & Commerce, University of Delhi.

सारांश

राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में विधायिका, कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक है । न्यायपालिका प्रशासनिक व्यवस्था का एक ऐसा अंग है जो राजतंत्र से लेकर प्रजातंत्र तक के विकास तक सर्वदा सक्रिय भूमिका में उपस्थित रही है । भारतीय न्यायपालिका के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया इतिहास के कालखंड में होती रही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती रही हैं ।इस शोध पत्र के अंतर्गत शोधकर्ताओं ने भारतीय न्याय व्यवस्था के क्रम बद्ध विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है ।

मूल शब्द

न्यायपालिका,प्राचीन, औपनिवेशिक , संविधान , प्रशासनिक ।

भारत में न्यायपालिका का विकास एक जटिल और बहुआयामी यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्राचीन रीति-रिवाज, औपनिवेशिक प्रभाव और स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रगति शामिल है। अन्य प्रशासकीय संस्थाओं की भांति न्यायिक प्रशासन भी भारत में विकास का परिणाम है। भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का एक लंबा और जटिल इतिहास है। यह विकास औपनिवेशिक काल से शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अदालतों और कानूनी प्रणालियों को स्थापित करना शुरू किया। बाद में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किए गए, जो वर्तमान न्यायिक प्रणाली की नींव बन गए। इस संदर्भ में यह देखना जरूरी है कि भारत में न्यायिक प्रशासन का विकास किस प्रकार हुआ।

भारत में न्यायिक संस्थाएं प्राचीन काल से ही पाई जाती हैं। हर युग में उचित न्याय हेतु न्यायालय की व्यवस्था रही थी। उदारवादी सम्राट स्वयं ही दरबार में जनता की शिकायतों की सुनवाई करते थे लेकिन

IJFANS International Journal of Food And Nutritional Sciences
Official Publication of International Association of Food and Nutrition Scientists

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

सुदूर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय प्रशंसकों की नियुक्ति की जाती थी। मुसलमानी शासन काल में काजी और मुल्ला न्यायिक प्रशासन के अधिकारी थे। मुगल काल में न्यायिक व्यवस्था का काफी विकास हुआ। उस युग में प्रांतीय गवर्नर को सूबेदार कहते थे। वह प्रांत का दीवान और निजाम होता था। उसके ज़िम्मे में दीवानी और फौजदारी न्याय, राजस्व की वसूली और शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने का भार था। औरंगजेब ने दीवान और निजाम को अलग-अलग कर दिया। निजाम फौजदारी न्याय तथा शांति और व्यवस्था की देखभाल करता था जबकि दीवान दीवानी न्याय और राजस्व की वसूली का काम।

17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई मद्रास और कोलकाता में व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की। उन केंद्रों के शासन के संबंध में उन्हें मुगल सम्राटों द्वारा काफी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अंग्रेजों को यह अधिकार दिया गया कि वे व्यवसाय केंद्र का शासन अपने कानून के अनुसार तथा अपने अधिकारियों द्वारा करें। 1600 ई के राजकीय चार्टर के द्वारा कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने कर्मचारियों को नियम और कानून को भंग करने के लिए जुर्माना और दंड दे सकती है। पुनः 1661 ई के चार्टर द्वारा केंद्रों के गवर्नर और काउंसिलों को अपने केंद्रों के अंतर्गत निवासियों को दीवानी और फौजदारी मामलों के संबंध में दंडित करने का अधिकार दिया गया। इस संबंध में ब्रिटिश कानून और नियमों का पालन किया जाता था। 1660 ई में कंपनी में भारतीयों के संबंध में भी ब्रिटिश कानून के अनुसार न्यायिक प्रशासन का का अधिकार दिया गया। बाद में चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापारिक और सामुदायिक प्रणाली के फैसले के लिए न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया। 1687 ई में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। इसके मेयर और एल्डरमैन को दीवानी और फौजदारी न्याय के संबंध में अधिकार दिया गया। 1726 ई में सभी प्रेसीडेंसी शहरों में मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मेयर और एल्डरमैन को दीवानी और फौजदारी न्याय के संबंध में अधिकार दिया गया। 1726 ई में सभी प्रेसीडेंसी शहरों में मेयर के न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन यह न्यायालय सफल नहीं हुए। इसका कारण यह था कि वह केवल अंग्रेजी कानून को लागू करते थे और न्यायिक प्रशंसकों को कानून संबंधी योग्यता और प्रशिक्षण नहीं था।

कंपनी के शासनकाल में न्यायिक प्रशासन के क्षेत्र में वारेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार किया। 1765 ई में कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला। 1772 ई में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई जिसने न्यायिक प्रशासन में कई सुधार किया। पहला, प्रत्येक जिला में दो भिन्न न्यायालयों की स्थापना की गई- दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत का अध्यक्ष एक यूरोपियन कलेक्टर होता था। उसने ही न्यायिक और राजा संबंधी शक्तियां शामिल रहती थी। फौजदारी अदालत मुस्लिम कानूनी अधिकारियों के अधीन रही । कोलकाता में अपील के लिए दो न्यायालय की स्थापना की गई -सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। पहले की अध्यक्षता गवर्नर तथा उसकी काउंसिल करती थी। दूसरे की अध्यक्षता निजाम द्वारा नियुक्त एक आधिकारी करता था जो गवर्नर और उसकी काउंसिल के नियंत्रण में कार्य करता था। उस अधिकारी की सहायता के लिए मुस्लिम कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया तथा राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से पृथक कर दिया गया । न्यायिक प्रशासन का अधिकार कलेक्टर के

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

हाथ से छीन लिया गया और दीवानी न्याय के प्रशासन के लिए पृथक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई जिन्हें अधीक्षक कहा जाता था। इन्हें मजिस्ट्रेट के अधिकार भी दिए गए।

1773 ई में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश होते थे। उनकी नियुक्ति क्राउन द्वारा होती थी। न्यायालय को कंपनी के शासन क्षेत्र में दीवानी फौजदारी और धार्मिक मामलों में ब्रिटेन के निवासियों और कंपनी के कर्मचारियों पर पूरा अधिकार था। ब्रिटेन के निवासियों तथा भारतीयों के बीच अनुबंध से संबंधित मामलों का फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता था बशर्ते संबंधित भारतीय उनके क्षेत्राधिकार को स्वीकार करें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुध्द सपरिषद सम्राट के पास अपील की जा सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कई दृष्टिकोण से त्रुटि पूर्ण था। यह स्पष्ट नहीं था की सर्वोच्च न्यायालय किस कानून और प्रक्रिया को लागू करेगा। सपरिषद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय का संबंध भी स्पष्ट नहीं था। यह बतलाना कठिन था की कौन-कौन व्यक्ति ब्रिटिश प्रजा और कंपनी के कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दावा था कि सभी भारतीय उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दावा था कि सभी भारतीय उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वह ब्रिटिश कानून और वैदिक सिद्धांतों को लागू करता था तथा स्थानीय परंपराओं और आचारों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता था। सर्वोच्च न्यायालय और सपरिषद गवर्नर जनरल के बीच झगड़ा और मतभेद आम बात हो गई थी। इन सब का फल यह हुआ की सर्वोच्च न्यायालय जनता के अधिकारों का संरक्षक और न्याय का प्रणेता बनने के बजाय दमन का साधन बन गया।

बंगाल न्यायाधिकरण अधिनियम 1781 का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र के विषय में पाई जाने वाली अनिश्चितता को दूर करता था। यह स्पष्ट कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का राजस्व प्रशासन पर कोई अधिकार नहीं था। कंपनी के न्यायालय के न्याय अधिकारियों के न्यायिक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय की पहुंच से बाहर रखा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के न्यायालय के लिए अपीलीय अधिकारी घोषित किया गया। यह भी कहा गया की सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियमों और निर्णय के सिलसिले में भारतीयों के धर्म और परंपराओं का ध्यान रखना होगा। कोलकाता के भारतीय निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुसलमान और हिंदू अपने-अपने कानून और प्रथाओं में शामिल होंगे। इस प्रकार 1781 ई के अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया।

लार्ड कार्नवालिस 1786 ई में भारत आया । उसे डायरेक्टरों ने यह स्पष्ट आदेश दिया था कि कलेक्टर, दीवानी, जज और मजिस्ट्रेट के कार्यों को एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित करें। लेकिन कॉर्नवालिस को स्वयं न्यायिक और राजस्व शक्तियों के एकीकरण की उपयोगिता पर विश्वास नहीं था। फिर भी उसने न्याय प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए अनेक सुधार किया। पहला, राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग-अलग व्यक्तियों के हाथ में रखा गया। दूसरा, गरीब और असहाय जनता को अधिक से अधिक न्याय देने के लिए उसने कुछ सुधार किया। तीसरा, सरकारी अधिकारियों को उच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदाई बनाया गया। चौथा, उसने सभी न्यायिक विनियमों को एकत्र कर विधि संहिता तैयार की।

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

पांचवा, जजों को भ्रष्टाचार से बचने के लिए उन्हें अधिक वेतन दिया गया। छठा, न्याय को सस्ता बनाने के लिए कोर्ट फीस घटा दिया गया।

1793 ई में मुंबई और मद्रास के मेयर न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर अभिकरण न्यायालय की स्थापना की गई। बाद में उन्हें समाप्त कर दिया गया। गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास अपील की संस्था इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इस कार्य के लिए सदर अदालतों की स्थापना की गई।

लार्ड कार्नवालिस की भांति लॉर्ड बेंटिक ने भी न्याय प्रशासन में कई सुधार किए । इन सुधारो में निम्नलिखित उल्लेखनीय है-पहला , अपील के प्रांतीय न्यायालय और सर्किट न्यायालय समाप्त कर दिए गए। दूसरा, प्रत्येक प्रेसीडेंसी को 20 डिवीजन में बांट दिया गया। प्रत्येक डिवीजन में एक-एक राजस्व और सर्किट कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तीसरा, 1831 में फौजदारी न्याय के प्रशासन का दायित्व दीवानी जजों को सौंप दिया गया। बाद में इसी का विकास जिला और सेशन जज के रूप में हुआ। इसी प्रकार दीवानी जज के हाथ से मजिस्ट्रेट के अधिकारों को लेकर कलेक्टर के जिम्मे में सौंप दिया गया जो बाद में चलकर कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में विकसित हुआ। चौथा, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई। पांचवा, भारतीयों को नया प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा । सदर अमीन के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई और उन्हें अधिकार तथा अच्छा वेतन दिया गया।

अभी तक केवल न्यायपालिका के संगठन में सुधार की दिशा में प्रयास किए गए थे। कानून को सुधारने तथा उसे संहिता बद्ध करने की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। विधि सदस्य मैकाले ने पहली बार इस संबंध में सुधार लाने के लिए सुझाव दिया। उसने भारत के लिए समान संहिता तैयार करने की मांग की। उस समय तक भारत में विभिन्न प्रकार के तथा परस्पर विरोधी कानून प्रचलित थे। मैकाले ने कहा कि"मेरा यह विश्वास है कि कानून की संहिता को जितनी आवश्यकता भारत को है उतनी किसी देश को नहीं।"1853 ईस्वी में गवर्नर मैकाले की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति की गई। कई वर्षों तक आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया गया। कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय कानून और उनकी क्रिया को संहिताबद्ध किया गया। व्यवहार प्रक्रिया को 1859 ई में भारतीय दंड संहिता को ,1860 ई में और दंड प्रक्रिया संहिता को 1861 ई में कानून का रूप दिया गया। ये संहिताएं आज भी भारतीय न्याय प्रशासन की आधारशिला हैं।

1881 ई में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोलकाता मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार मिला। कंपनी और क्राउन के न्यायालय को एक में मिला दिया गया। पुराने सर्वोच्च न्यायालय और अदालत न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए 1856 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पंजाब में एक मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया कि वह दीवानी न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून बनाएं। 1865 और 1873 ई के बीच सभी प्रांतों में दीवानी अधिनियम पास किए गए। इन अधिनियमों द्वारा सारे देश में एक प्रकार

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

के न्यायालय की स्थापना हुई। 1872 ईस्वी में फौजदारी प्रशासन को भी दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा सारे देश में एक रुप बना दिया गया। 1911 ईस्वी में गवर्नर जनरल परिषद को देश के किसी भी भाग में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पटना, लाहौर ,नागपुर और रंगून में उच्च न्यायालय ,अवध में मुख्य न्यायालय और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध में जुडिशल कमिश्नर के न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय में जजों की संख्या 15 से 20 के बीच में निश्चित की गई। 1935 ई में भारत सरकार अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसका अंतिम न्यायालय इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल था। संवैधानिक मामलों में संघीय न्यायालय और फौजदारी तथा दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रिवी काउंसिल को किसी मामले में अपील करने के लिए छूट देने का अधिकार था, जहां अपील करने की व्यवस्था नहीं थी। 1949 ई में पृवि काउंसिल के पास अपील करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 1950 ई में नए संविधान के लागू होने के बाद संघीय न्यायालय के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसे भारत का अंतिम न्यायालय घोषित किया गया। प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर तथा अन्य स्तरों पर निम्न न्यायालय की व्यवस्था पूर्ववत बनी रही। क्रमशः भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है और न्याय को सस्ता तथा शीघ्र बनाने के लिए कोशिश की जा रही है ।

1. भारतीय संविधान, भारत सरकार प्रकाशन विभाग, 1950 (संविधान का मूल पाठ और अनुच्छेद 124, 32, 226, इत्यादि से संबंधित जानकारी के लिए)
2. बसु, डी. डी. – भारतीय संविधान की भूमिका, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
3. जैन, एम. पी. – भारतीय विधि का इतिहास, लेक्सिस नेक्सिस, गुड़गांव
4. अग्रवाल, वी. एन. – भारत में विधि और न्याय का इतिहास, केंद्रीय हिंदी निदेशालय
5. सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट – https://main.sci.gov.in
6. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) की रिपोर्ट्स – विशेषकर रिपोर्ट क्रमांक 245 (न्याय तक पहुँच की सुलभता पर)
7. The Indian High Courts Act, 1861 – ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना संबंधी अधिनियम

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876

Research paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved, UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11A, 2022

8. चंद्र, बिपिन – आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान

9. सी. के. ताकवाला और लक्ष्मीकांत – भारतीय विधिक प्रणाली: एक परिचय

10. भारतीय विधि संस्थान (Indian Law Institute), नई दिल्ली – शोध पत्रिकाएँ एवं लेख